भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./08/77/2018/एफ.सी./539 दिनॉकः 10.12.2018

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, छठवां तल,
बापू भवन, लखनऊ

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/Others/34211/2018

विषयः कानपुर में उ0प्र0 जल निगम द्वारा विधूना कैनाल से घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट तक पानी ले जाने हेतु एन0एच0 86 के किनारे किमी0 20.800 तक पाईप लाईन डालने हेतु 14.385 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1258 वृक्षों एवं 1428 विक गार्ड पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः–क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक–06.12.2018 की कार्रवाई (REC Agenda item 35.1-U.P.) **एवं आपका पत्रांक–3521/14–2–2018–800(153)/2018 दिनांक 05.11.2018.**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–पी–159/14–2–2018–800(153)/2018, दिनांक–08.10.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रकरण को दिनांक–06.12.2018 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 35.1-UP) शामिल किया गया था जिसमें विचारोपरान्त प्रकरण को सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः केन्द्र सरकार कानपुर में उ0प्र0 जल निगम द्वारा विधूना कैनाल से घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट तक पानी ले जाने हेतु एन0एच0 86 के किनारे किमी0 20.800 तक पाईप लाईन डालने हेतु 14.385 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1258 वृक्षों एवं 1428 विक गार्ड पौधों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (14.385 x 2 = 28.77 ha.) अर्थात् 28.77 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
   (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांन्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

4. पाईप लाईन डालने हेतु खुदाई के उपरान्त मलवे को ठीक उसी स्थान पर भरा जाएगा एवं पाईप लाईन बिछाने के उपरान्त मिट्टी भरान के पश्चात् यथासम्भव उपयुक्त प्रजाति के पौधों/बांस का रोपण परियोजना व्यय पर किया जाएगा।

5. Muck generated during excuation of earth for laying of pipelines shall be disposed off outside the Forest area as per the detailed Muck disposal scheme approved by the State Forest Department.

6. Letter of authorization issued by Neyveli Uttar Pradesh Power Limited shall be submitted giving clarification that UP Jal Nigam is a joint User Agency with NUPPL for executing the project.

7. Copy of "Memorandum of Understanding" signed with UP Jal Nigam for execution of projet shall be submitted by Neyveli Uttar Pradesh Power Limited.

8. वृक्षों का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वन विभाग की देख रेख में किया जाएगा। खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को हानि नहीं पहुँचाई जाएगी, खुदाई सुरक्षित रूप से की जाएगी।

9. वृक्षों की कटाई, पातन, लौंगिग एवं परिवहन आदि व्यय का वहन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

10. पाईप लाईन बिछाने का कार्य ट्रेंच खुदाई सहित 3.5 मीटर की चौड़ाई में सीमित रखा जाएगा। मिट्टी खुदाई एवं भराई का कार्य पूर्ण लम्बाई को segments में बाँटकर क्रमानुसार किया जाएगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

12. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

13. कार्य प्रारंभ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र–11–306/2014–एफ0सी0(pt.), दिनांक– 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के उपरांत ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निदेशक (आर.ओ.एच.क्यू.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003
2. अपर वन महानिदेशक (एफ.सी)., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली– 110003.
3. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, कानपुर।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर, उ0 प्र0।
6. परियोजना प्रबन्धक (निर्माण इकाई) उ0प्र0 जल निगम घाटमपुर, कानपुर।
7. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली।

10/12/15

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}